



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 679]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 998(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) (जिन इममें उचित पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (1) दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के लिए निदेश भारत सरकार के मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा या राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के राज्य सरकार के भाग साधक सचिव (जिन इममें उचित पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है), द्वारा किए गए आदेश द्वारा ही जारी किए जाएंगे अर्थात् कि अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं है, कहां ऐसा आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भारत सरकार के मुख्य सचिव की पंक्ति में नीचे का न हो, जिन व्यवहारों में उक्त सचिव या राज्य गृह सचिव द्वारा संभव प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा जारी किया जा सकता है।

परंतु केन्द्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए आदेश जैसे आदेश के जारी किए जाने के चौबीस घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत अधीन होगा।

परंतु यह और वि. दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का आदेश उन चौबीस घंटे की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के प्राप्त न होने की दशा में अन्तित्वहीन हो जाएगा।

(1) के अधीन मध्यम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में, ऐसे निदेश के लिए कारण प्रस्तुत करने वाले आदेश की प्रति अगले कार्य दिवस तक सम्बद्ध पुनर्विलोकन समिति को अग्रपिप्त की जाएगी।

, उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए निलंबन के लिए निदेश तार प्राधिकारी के पदाभिहित अधिकारियों या या सेवा प्रदाताओं, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्र या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारियों को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए गैरी अध्यापेक्षाओं को प्राप्त करने और उन पर वारंवारतः निरीक्षण करने के लिए निलंबित अधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेंगे।

(4) तार प्राधिकारी और सेवा प्रदाता, यथास्थिति, प्रत्येक अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्र या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारियों को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए गैरी अध्यापेक्षाओं को प्राप्त करने और उन पर वारंवारतः निरीक्षण करने के लिए निलंबित अधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेंगे।

(5) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी।

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के भारसाधक सचिव - सदस्य

(ग) भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव - सदस्य

(ii) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(ख) भारसाधक विधि सचिव या विधि परामर्शी-विधि कार्य - सदस्य

(ग) सचिव, राज्य सरकार (गृह सचिव से भिन्न) - सदस्य

(6) पुनर्विलोकन समिति लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण सेवाओं के निलंबन के लिए निदेश जारी करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर बैठक करेगी और इस बारे में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि क्या उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए निदेश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार हैं।

[फा. सं. 800-37/2016-एएम.11]

प्रमोद कुमार मिश्र, वरिष्ठ उप-महानिदेशक (एएम)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2017

G.S.R. 998(F). - In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (17 of 1885) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the temporary suspension of telecom services due to public emergency or public safety, namely:-

1. (1) These rules may be called the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. (1) Directions to suspend the telecom services shall not be issued except by an order made by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in the case of Government of